कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र0–2 शहडोल, म0प्र0

E-mail- eewrd.shahdol130@gmail.com.

पत्र क्र0 / 215....... / कार्य / वन / 2019 शहडोल, दिनांक– 21/1/19

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
उत्तर वन मंडल शहडोल (म0प्र0)

विषय– शहडोल जिले के अंतर्गत हिरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 1.423 हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग में देने बावत्।

संदर्भ– आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 241 / शहडोल, दिनांक 17.01.19

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से हिरवार माइक्रो सिंचाई परियोजना की शर्तानुसार सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन / वचन पत्र निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है :–

1. भूमि का वैद्यानिक स्वरूप अपवर्तित रहेगा, अर्थात वह भूमि आरक्षित / संरक्षित / ग्राम / अवर्गीकृत / अन्य श्रेणी के वनों / वन आदि ही रहेगी – **शर्त मान्य है।**
2. आवेदक संस्था द्वारा केवल उतनी ही वन भूमि का उपयोग करना चाहिये जितना की व्यपवर्तन प्रस्तावित हुआ है, अतिरिक्त वन भूमि का उपयोग करने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लघंन माना जावेगा – **शर्त मान्य है।**
3. परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्यप्राणी अभ्यारण अथवा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर होना चाहिए – **शर्त मान्य है।**
4. वन भूमि पर किसी भी प्रकार के श्रमिकों के द्वारा कैंप नहीं लगाये जायेंगें – **शर्त मान्य है।**
5. सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व वन भूमि पर कोई भी कार्य नहीं कराया जावेगा – **शर्त मान्य है।**
6. परियोजना के निर्माण में यदि किसी वन अधिनियम या वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होता है तो उसके लिये आवेदक संस्थान उत्तरदायी होंगें – **शर्त मान्य है।**
7. उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारों ओर क्षेत्र में स्थित जीव–जन्तुओं व वनस्पतियों को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित करने के लिये सभी आवश्यक उपाय भी करेगा – **शर्त मान्य है।**
8. परियोजना क्षेत्र में बसे हुए आदिम जाति एवं कृषि पूर्व समुदाय के मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी – **शर्त मान्य है।**
9. वन क्षेत्र के अंदर गिट्टी, मिट्टी, मुरूम, रेता आदि का संग्रहण एवं उत्खनन नहीं किया जायेगा – **शर्त मान्य है।**
10. आवेदक संस्थान द्वारा व्यपवर्तित वन भूमि पर काटे गये वृक्षों की संख्या से दुगने, वृक्ष परियोजना व्यय पर लगाये जायेंगे ताकि क्षेत्र हरा–भरा रहे। वृक्षारोपण स्थल का चयन व चिन्हांकन वन विभाग द्वारा किया जावेगा (प्राथमिकता परियोजना स्थल के आस–पास ही हो) इस पौधा रोपण हेतु केवल स्थानीय मूल प्रजातियों का ही उपयोग किया जावेगा, वृक्ष यदि व्यपवर्तित भूमि पर लगाये गये हो तो राज्य वन विभाग के अनुमति के बिना उनका पालन नहीं किया जावेगा जो वृक्ष वन क्षेत्र से अन्यत्र लगाये जायेंगे वे भी वन विभाग की सम्पत्ति रहेगे – **शर्त मान्य है।**
11. म.प्र. शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12 सितम्बर 2008 के आदेश के अनुक्रम में परियोजना में उपयुक्त उष्णकटिबंधीय पणपाती वन ईको वैल्यू श्रेणी के अंतर्गत खुले वन एवं रिक्त क्षेत्र होने से एन.पी.वी. की राशि **1.423 X 6.26 = 890798/-** (आठ

1324

लाख नब्बे हजार सात सौ अठ्ठान्नवें रूपये) मात्र उक्त राशि भारत सरकार के कैम्पामद में भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से करें एवं की गई जमा राशि की प्राप्ति से इस कार्यालय को अवगत करावें – **शर्त का पालन कर लिया गया है। एन.पी.वी. की राशि रू. 890798/- (आठ लाख नब्बे हजार सात सौ अठ्ठान्नवें रूपये) मात्र भारत सरकार के कैम्पामद में भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से चालान (NEFT/RTGS) जनरेट कर ई–पेंमेंट के माध्यम से ई पेमेंट चेक कमांक W370515864 दिनांक 21.01.2019 द्वारा कर दिया गया है। ई–चालान की प्रति व ई–भुगतान के एडवाईस की प्रति संलग्न है।**

12. भविष्य में भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल द्वारा नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि या भविष्य में अंतर की राशि जो देय होगा उसे आवेदक संस्थान जमा करने हेतु बाध्य होगा – **शर्त मान्य है।**
13. भविष्य में भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल द्वारा दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में वृक्षा रोपण कराई जाती है या संबंधित अन्य कोई शर्त लगाई जाती है तो आवेदक संस्था बाध्य होगी – **शर्त मान्य है।**
14. उक्त परियोजना कार्य के कारण यदि वन क्षेत्र में कोई नुकासान होता है तो आवेदक संस्थान द्वारा ऐसी क्षति की भरपाई की जावेगी – **शर्त मान्य है।**
15. वनों के संरक्षण अनुरक्षण तथा संवर्धन के हित में राज्य शासन/वन विभाग द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गयी अन्य शर्तों का पालन आवेदक/संस्थान द्वारा किया जावेगा – **शर्त मान्य है।**
16. समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका कमांक 202/1995 के अनुकम में प्रसारित आदेश एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुपालन में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा म.प्र. शासन बल्लभ भवन भोपाल द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश का कड़ाई से पालन करने बावत् आवेदक संस्था बाध्यकारी होगें। अतः यूजर एजेंसी वन भूमि का उपयोग करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के प्रति संवदेनशील एवं सचेत रहेंगें – **शर्त मान्य है।**
17. यदि भविष्य में शासन/विभाग द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो आवेदक संस्था उसे मानने के लिये बचनबद्ध होगा – **शर्त मान्य है।**

उक्त सभी शर्तें मान्य करने हेतु, जल संसाधन विभाग वचन देता है।

सहपत्र – चालान एवं एन.पी.वी. राशि रू. 890798.00 के भुगतान एडवाईस की प्रति।

(डी0आर0आकरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क0–2
शहडोल. म0प्र0

पृ0 क्र0/216......./कार्य/वन/2019 शहडोल, दिनांक– 21/1/19

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, म.प्र. भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग रीवा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त शहडोल (म0प्र0) ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल शहडोल (म0प्र0) ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सहपत्र – शून्य।

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क0–2
शहडोल, म0प्र0

D/Sobhit/new work 16

E.E.(W/R) DIV NO. 2 SHAHDOL
Shahdol,
Madhya Pradesh-484001

Payment Order List
E.E.(W/R) DIV NO. 2 SHAHDOL

Report Run Date: 21/01/2019 18:08:41

Date From: 21/01/2019 To : 21/01/2019

Sr.No	Party Code	Party Name	Voucher No	Date of Payment	Amount Paid	IFSC Code	Account No	Payment Mode	Bill Ref No	Advice No	Cheque No	Efile No	UTR NO
3703102003 : E.E.(W/R),DIV NO. 2 SHAHDOL >> CORPORATION BANK >> NEW DELHI LODHI COMPLEX													
1	200085426116	MADHYA PRADESH CAMPA	370/4701 /012018-19/0008	21/01/2019	8,90,798.00	CORP0000371	150765735219291	E-Payment	WorkID/20002184500	3703102003/012018-19 /E0057	W370515864	null	-
Total					8,90,798.00								
Total					8,90,798.00								

Executive Engineer
Water Resource Division No.-2
Shahdol (M.P.)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-01-2019

Agency Name.	Minor Irrigation Division
Application No.	5735219291
MoEF/SG File No.	NA
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	office of executive engineer water resource divisiShahdol
Amount(in Rs)	890798/-

Amount in Words :Eight Lakh Ninety Thousand Seven Hundred and Ninety-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150765735219291 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-01-2019

Agency Name.	Minor Irrigation Division
Application No.	5735219291
MoEF/SG File No.	NA
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	office of executive engineer water resource divisi Shahdol
Amount(in Rs)	890798/-

Amount in Words :Eight Lakh Ninety Thousand Seven Hundred and Ninety-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150765735219291 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

Executive Engineer
Water Resource Division No.2
Shahdol (M.P.)

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in